उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या- 10/2021/1938/23-8-2021-28(पी0डब्ल्यू0)अधि0/17

लखनऊ : दिनांक : 22 अक्टूबर 2021

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05.11.2014 (यथासंशोधित) में अंकित व्यवस्था तथा स्क्रीनिंग कमेटी की आख्या/संस्तुति के क्रम में श्री वहीद बख्श तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर दिनांक 15.02.2016 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700/- का लाभ अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अच्युतानन्द

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज।

2- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

3- स्टाफ आफिसर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

5- संबंधित अधिकारी द्वारा स्टाफ आफिसर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

6- कार्यालय आदेश पुस्तिका/डाटा प्रभारी।

आज्ञा से

(अच्युतानन्द)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।